संख्याःशिक्षा–एच(4)सी)21/2004–Vol-II
शिक्षा निदेशालय(उच्चतर),हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला–17100 सितम्बर, 2010

शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश
30 OCT 2010
शिमला-1

सेवामें,

समस्त उप शिक्षा निदेशक उच्चतर/प्रारम्भिक,हि0प्र0.............................
समस्त प्राचार्य रा0म0वि0/रा0 संस्कृत म0वि0,हि0प्र0.............................
समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक रा0व0मा0वि0/रा0उ0वि0,हि0प्र0...............

विषयः– अन्तिम बेवाकी प्रमाण पत्र जारी करने बारे।

ज्ञापन,

विभाग के ध्यान में यह तथ्य आया है कि कर्मचारियों की सेवानिवृति के उपरान्त सेवानिवृति लाभ प्रदान करने से पूर्व अन्तिम बेबाकी प्रमाण पत्र जारी करने बारे एक समान प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। बहुत से मामले जिनमें अन्तिम बेवाकी प्रमाण पत्र जारी करने का उतरदायित्व क्षेत्रीय कार्यालय/विद्यालयों का बनता है, ऐसे मामले भी निदेशालय को भेजे जा रहे है। इस कारण सेवानिवृति लाभ जारी करने में अकारण विलम्ब हो जाता है जिससे सेवानिवृत कर्मचारियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह ध्यान में लाया जाता है कि सेवानिवृत कर्मचारी का अन्तिम बेवाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करने का उतरदायित्व उस श्रेणी के लिए घोषित कार्यालयाध्यक्ष का है। अतः समस्त कार्यालयाध्यक्ष सेवानिवृत कर्मचारी की पिछली तीन तैनाती के कार्यालयों से किसी भी प्रकार की वसूली से सम्बद्य बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया अपने स्तर पर पूर्ण करेंगे। इसलिए भविष्य में समस्त कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्यरत कर्मचारी से सम्बन्धित अन्तिम बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु कर्मचारी की सेवानिवृति की अधिसूचना/आदेश जो कि सेवानिवृति से छः माह पूर्व जारी किए जाने चाहिए, में ही सम्बन्धित कार्यालयों से अनुरोध किया जाना उचित होगा ताकि सेवानिवृत लाभों का भुगतान समय पर करना सम्भव हो पाए।

शिक्षा निदेशक
हिमाचल प्रदेश।